भारत सरकार
पेट्रोलयम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

लोक सभा
अतारांकत प्रश्न सं0 **1368**
दिनांक 01 जुलाई, 2019

बीएस-**VI** मानदंड

1368. श्री सैयद इम्तियाज़ जलीलः
श्री असादुद्दीन ओवैसीः

क्या पेट्रोलयम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कः

(क) क्या सरकार देश भर में प्रदूषण पर नियंत्रण पाने हेतु बीएस-**VI** मानदंड के वाहनों की बिक्री शुरू करने पर वचार कर रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 1 अप्रैल, 2020 के बाद बीएस-**IV** मानक गाड़यों पर रोक लगा दी है और इस अनुरोध को भी ठुकरा दिया है जिसमें केन्द्र सरकार और वाहन उद्योग ने मौजूदा स्टॉक के समाप्त होने तक समय-वस्तार की मांग की थी; और

(ग) यदि हां, तो भारी घाटे में चल रहे वाहन उद्योग की इस संबंध में मदद करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जा रहे हैं**?**

उत्तर
पेट्रोलयम और प्राकृतिक गैस मंत्री
(श्री धर्मेन्द्र प्रधान)

(क): सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने यह बताया है क, उन्होंने दिनांक 16.09.2016 की अधसूचना संख्या जीएसआर 889 (ई) के द्वारा पूरे देश में 01 अप्रैल, 2020 से बीएस-**VI** का व्यापक उत्सर्जन मानक अधदेशत कर दिया है।

(ख) और (ग): दिनांक 24 अक्तूबर, 2018 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह आदेश दिया है क पूरे देश में दिनांक 01.04.2020 से बीएस-**IV** उत्सर्जन मानक वाला कोई भी नया मोटर वाहन बेचा नहीं जाएगा अथवा पंजीकृत नहीं कया जाएगा।

****